कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार,
सामाजिक प्रक्षेत्र –I, स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा,
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना - 800001

सं0.एल0ए0 / एस0एस0–1 / श0स्था0नि0 / 14655/498 **दिनांक–** 29.03.2017

सेवा में,

सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार सरकार, पटना

महाशय,

नगर परिषद्, सासाराम के वित्तीय वर्ष 2011–12 से 2013–14 के लेखाओं पर आधारित विशेष (क्रय से संबंधित) लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं0 1132 / 16–17 आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। अनुरोध है कि इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्राप्ति के 3 माह के अन्दर पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की लम्बित कंडिकाओं के अनुपालन के साथ अभिप्रमाणित साक्ष्य सहित नगर परिषद् बोर्ड से अनुमोदित कराकर जिला स्तरीय समिति के समीक्षोपरान्त प्रेषित किया / करवाया जाय जिससे लेखापरीक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखापरीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं / विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है। महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना का कार्यालय लेखा परीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

संलग्नकः यथोपरि

भवदीय,

तनवीर हसन 29/03/17
वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0 / सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

पत्र पंजी
07 APR 2017
संख्या 3125
बिहार, पटना

06 APR 2017

नगर परिषद, सासाराम

विशेष लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन सं.–1132/16–17

प्रस्तावना

1	कार्यालय का नाम	नगर परिषद्, सासाराम
2	निरीक्षण का वर्ष	2011–12 से 2013–14 (क्रय से संबंधित विशेष लेखापरीक्षा)
3	लेखापरीक्षा की अवधि	17.10.2016 से 29.10.2016
4	लेखापरीक्षा दल के सदस्य	1. श्री अनिल कुमार रजक, स0ले0प0अ0 2. श्री संजीव नयन, स0ले0प0अ0 3. श्री बलराम मिश्रा, स0ले0प0अ0 4. श्री अरविन्द कुमार, ले0प0
5	निरीक्षण पदा. का नाम	श्री राजनन्दन कुमार, व.ले.प.अ.
6	क्या कार्यालय प्रधान के साथ विचार–विमर्श किया गया?	हॉ, दिनांक 29.10.2016 को लेखापरीक्षा के दौरान उठाई गयी आपत्तियों पर विचार– विमर्श किया गया।
7	**प्रशासन**	
	कार्यपालक पदाधिकारी का नाम	अवधि
	1. श्री पहलाद लाला (वि.प्र.से.) 2. श्री नीरज कुमार झा 3. श्री राजीव रंजन प्रकाश	01.04.11 से 15.02.14 15.02.14 से 18.02.14 19.02.14 से 31.03.14
	अध्यक्ष 1. श्रीमती नाजीया बेगम	01.04.11 से 31.03.14
	उपाध्यक्ष 1. श्री चन्द्रशेखर सिंह	01.04.11 से 31.03.14
8	लेखापरीक्षा का परिक्षेत्र–	2011–12 से 2013–14 (क्रय से संबंधित विशेष लेखापरीक्षा)
9	**सामान्य अभियुक्ति**	वित्तीय वर्ष 2011–12 से 2013–14 के बीच विभिन्न मदों यथा तेरहवीं वित्त आयोग, चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि तथा नगर निधि से मुख्यतः सोलर लाईट (1610 अद्द) खरीदे गए। कुल 1610 सोलर लाईटों की खरीद पर रू0 4,37,92,000/– व्यय किया गया।

<u>दावा अस्वीकरण प्रमाण पत्र</u>

(DISCLAIMER CERTIFICATE)

यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, सासाराम (रोहतास) द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं/विवरणों पर तैयार किया गया है। महालेखाकार कार्यालय इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

कंडिका 01 सोलर लाईटों का अनियमित क्रय (रू0 4.38 करोड़)

नगर परिषद, सासाराम, रोहतास द्वारा वित्तीय वर्ष 2011–12 से 2013–14 के दौरान क्रय की गई सोलर लाईटों की संचिकाओं के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि उक्त अवधि में नगर परिषद द्वारा कुल रू. 4,37,92,000/– का व्यय कर 1,610 सोलर लाईटों का क्रय एवं अधिष्ठापन मे0राज इलेक्ट्रोनिक्स, अक्षय उर्जा शॉप, सासाराम से प्रति सोलर लाईट रू0 27,200/– की दर से किया गया था। विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है।

क्र. सं.	कार्यादेश सं. /तिथि	मद का नाम	सोलर लाईटों की सं.	विपत्र की राशि (सं0 × दर–27,200)	देय वैट (5 %)	देय परफॉर्मेंस सिक्युरिटी (10 %)	देय आयकर (2 %)	चेक सं. /तिथि	भुगतान की गई राशि
1	2433/30.11.11	13th FC	150	4080000	204000	408000		333536/ 12.01.12	4080000
2	216/24.01.12	13th FC	28	761600	38080	76160		333548/ 12.02.12	761600
3	378/18.02.12	13th FC	120	3264000	163200	326400		333563/ 06.03.12	3264000
4	438/25.02.12	13th FC	14	380800	19040	38080		333563/ 06.03.12	380800
5	744/03.04.12	MF	130	3536000	176800	353600		333591/ 10.05.12	3536000
6	1356/28.07.12	13th FC	160	4352000	217600	435200		333845/ 26.09.12	4352000
7	1392/02.08.12	13th FC	06	163200	8160	16320		333887/ 01.01.13	163200
8	2053/17.11.12	13th FC	145	3944000	197200	394400		333887/ 01.01.13	3944000
9	2131/01.12.12	4th SFC	64	1740800	87040	174080		333887/ 01.01.13	1740800
10	1400/07.06.13	4th SFC	140	3808000	190400	380800		825481/ 21.06.13	3808000
11	1744/12.07.13	4th SFC	40	1088000	**54400 vat deducted**	108800	**21760 IT deducted**	825497/ 07.08.13	1011840
12	1743/12.07.13	13th FC	142	3862400	**193120 vat deducted**	386240	**77248 IT deducted**	871261/ 07.08.13	3592032
13	1743/12.07.13	MF	78	2121600	**106080 Vat deducted**	212160	**42432 IT deducted**	825497/ 07.08.13	1973088
14	41/06.01.14	13th +MF	200	5440000	272000	**544000 PS deducted**	**108800 IT deducted**	824979/ 29.01.14	4787200
15	282/07.02.14	4th SFC	15	408000	20400	**40800 PS deducted**	**8160 It deducted**	824980/ 11.02.14	359040
16	2451/10.12.11	BRGF	08	217600	10880	21760		492511/ 07.01.12	217600
17	67/12.01.12	BRGF	32	870400	43520	87040		492525/ 11.02.12	870400
18	743/03.04.12	BRGF	98	2665600	133280	266560		456974/ 10.05.12	2665600
19	1289/23.05.13	BRGF	40	1088000	54400	108800		065734/ 04.06.13	1088000
			1610	43792000	2189600	4379200	258400		42595200

लेखापरीक्षा अभियुक्ति

1. ससाराम नगर परिषद की सामान्य बैठक दिनांक 01.06.2011 में निर्णय लिया गया कि 13 वीं वित्त आयोग के तहत आवंटित राशि 1.00 करोड़ रू. में से उसकी 50 प्रतिशत राशि अर्थात 50.

00 लाख रूपये से सौर उर्जा लाईट एवं स्ट्रीट लाईट सभी 40 वार्डो में लगाया जाए। इसके लिए सभी वार्ड पार्षद स्थल की सूची दे देगें जिसे चयनित सूची में सम्मिलित कर लिया जाएगा एवं सोलर लाईट सरकार के द्वारा प्राधिकृत एजेन्सी बेल्ट्रान के माध्यम से लगाया जाएगा।

नगर परिषद् के द्वारा उप विकास आयुक्त रोहतास, सासाराम से जिला स्तरीय क्रय समिति द्वारा सोलर लाईट क्रय हेतु स्वीकृत दर की मांग की गई। उप विकास आयुक्त रोहतास, सासाराम के द्वारा दिनांक 23.09.09 को आयोजित जिला स्तरीय क्रय समिति के बैठक में सोलर लाईट क्रय हेतु तय की गई दर रू० 27,200/– प्रति सोलर लाईट से संबंधित पत्र नगर परिषद् को उपलब्ध कराया गया। नगर परिषद् द्वारा मे0 राज इलेक्ट्रॅानिक्स, अक्षय उर्जा शॉप, सासाराम से कोटेशन प्राप्त किया गया जिसके अनुसार प्रति सोलर लाईट वैट सहित दर रू. 27,200 था। कोटेशन के अनुसार सोलर प्लेट एवं बैटरी की वारंटी अवधि क्रमशः 5 तथा 3 वर्ष थी। साथ ही 2 वर्षों के लिए निःशुल्क रख– रखाव भी किया जाना था। दिनांक 30.11.11 को नगर परिषद् द्वारा 150 सोलर लाईटों के क्रय हेतु मे0 राज इलेक्ट्रॅानिक्स, को कार्यादेश निर्गत कर दिया गया साथ ही साथ एकरारनामा भी 30.11.11 को किया गया जिसके अनुसार कोटेशन में दिए गए शर्तों को सम्मिलित किया गया। तत्पश्चात् उसी दर पर विभिन्न मदों से आपूर्तिकर्ता मे0 राज इलेक्ट्रोनिक्स, अक्षय उर्जा शॉप, सासाराम को दिनांक 30.11.11 से 07.02.14 के बीच कुल 19 कार्यादेश निर्गत किए गए तथा कुल 1,610 सोलर लाईटों का क्रय किया गया जिस पर कुल रु0 4,37,92,000 का व्यय किया गया।

बिहार सरकार द्वारा फरवरी 2007 में बेल्ट्रॉन (बाद में ब्रेडा) को सोलर लाईटों के अधिष्ठापन हेतु राज्य क्रय संगठन घोषित किया गया था। परन्तु नगर परिषद् द्वारा सोलर लाईट की खरीद बेल्ट्रॉन/ब्रेडा अथवा इसके अधिकृत एजेन्सियों से नहीं किया गया। अथवा क्रय मूल्य 25 लाख से अधिक होने के कारण खुली निविदा प्रक्रिया नहीं अपनायी गई। विदित हो कि सोलर लाईटों का दर उत्तरोत्तर घटता गया है। बल्कि जिला स्तरीय क्रय समिति की दर (27,200) जो कि दो वर्ष पूर्व निर्धारित की गई थी, को आधार मानकर एक विशेष आपूर्तिकर्ता मे0 राज इलेक्ट्रॅानिक्स से सभी सोलर लाईटों की खरीद की गई। इस प्रकार नगर परिषद् के द्वारा सोलर लाईटों के खरीद में अनियमित क्रय प्रक्रिया अपनायी गई।

2. ब्रेडा/बेल्ट्रॉन द्वारा निर्धारित सोलर लाईट का दर तथा क्रय किए गए सोलर लाईटों के दर में भिन्नता के कारण परिहार्य अधिक व्यय का विवरण निम्न प्रकार है–

क्रम	वर्ष	कुल सोलर लाईटों की सं0	ब्रेडा/बेल्ट्रॉन का दर	सोलर लाईट का दर	अधिक दर	कुल अधिक भुगतान
1.	2011–12	312	26,684	27,200	516	1,60,992
2.	2012–13	505	22,355	27,200	4,845	24,46,725
3.	2013–14	793	21,325	27,200	5,875	46,58,875
	कुल	1,610				72,66,592

3. सोलर लाईट अधिष्ठापना हेतु राज्य क्रय संगठन बेल्ट्रॉन/ब्रेडा द्वारा समय- समय पर निर्गत निदेशें के अनुसार अधिष्ठापित सोलर लाईटों के रख- रखाव हेतु समुचित व्यवस्था किया जाना है। उक्त व्यवस्था के अन्तर्गत रख- रखाव हेतु जिम्मेवार एजेंसी के द्वारा समय- समय पर अधिष्ठापित सोलर लाईटों की जांच, बैट्री का पानी बदलना, अन्य तकनीकि कारणों के कारण बंद सोलर लाईटों की मरम्मति करना इत्यादि शामिल है। परन्तु किसी भी संचिका में उक्त कार्यों का कोई वर्णन नहीं पाया गया।

4. निदेशक ब्रेडा के पत्रांक 1510/27.09.13 के अनुसार सोलर लाईट की आपूर्ति लेते समय कम से कम सहायक अभियंता स्तर के इंजिनियर से दर संविदा में निर्धारित तकनीकी विशिष्टियों की सम्पुष्टि प्राप्त सामग्रियों से मिलान कराके करायी जाये और दस से अधिक यूनिट का कार्यादेश होने पर कम से कम एक यूनिट के मोड्युल एवं अन्य हिस्सों की जांच हेतु सौर उपकरण जांच केन्द्र भेज दिया जाये। परन्तु तकनीकी विशिष्टियों की संपुष्टि नहीं किया गया।

5. ब्रेडा के पत्रांक 969 दिनांक 01.07.13 द्वारा जिला स्तरीय अक्षय उर्जा शॉप के सम्बंध में स्पष्ट किया गया है कि यह छोटे स्तर के केन्द्र हैं। यह ब्रेडा की अधिकृत शॉप नहीं है। यदि कोई उद्यमी अक्षय उर्जा शॉप स्थापित करना चाहता है तो ब्रेडा केवल उसकी वित्तीय स्थिति एवं उसके पास व्यापार स्थल की उपलब्धता के आधार पर MNRE को अनुशंसा मात्र करता है। इस अनुशंसा के बाद ब्रेडा द्वारा उसका अनुश्रवण एवं उस पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण समान्यतः नहीं रहता है कि इस प्रकार की शॉप किस प्रकार की गुणवता तथा किस प्रक्रिया के तहत सौर उपकरणों का विक्रय कर रही है। यदि अक्षय उर्जा शॉप द्वारा दावा किया जाता है कि यह ब्रेडा का अधिकृत शॉप है तो यह दावा अवैध है। इसके साथ ही इन दुकानों द्वारा ब्रेडा के लोगो का साईनबोर्ड /विजिटिंग कार्ड पर प्रयोग भी अवैध है।

   नोटशीट पर हर बार यह लिखा गया कि राज इलेक्ट्रोनिक्स, अक्षय उर्जा शॉप, सासाराम ब्रेडा की अधिकृत एजेंसी है और उससे 1,610 सोलर लाईटों का क्रय मापदंडों की अवहेलना कर किया गया।

6. तेरहवीं वित्त आयोग के अन्तर्गत नगर परिषद्, सासाराम को वित्तीय वर्ष 2010-11 से 2013-14 की अवधि में कुल 4,90,85,004/- की अनुदान की प्राप्ति हुई थी। विवरण निम्न प्रकार है-

क्र.सं.	आवंटनादेश सं./तिथि	राशि
1	95/17.08.10	50,00,000/-
2	186/30.03.11	50,00,000/-
3	704215/26.04.11	13,973/-
4	21/04.08.11	56,00,000/-
5	24/23.08.11	5,00,000/-
6	58/12.03.12	56,43,000/-
7	01/04.04.12	36,55,000/-

8	29/19.07.12	59,67,000/–
9	36/31.08.12	19,01,000/–
10	764/02.05.13	64,96,551/–
11	764/02.05.13	12,63,000/–
12	27/19.7.13	80,45,480/–
	कुल योग	4,90,85,004/–

नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक 95/17.08.10 के अनुसार 13वीं वित्त आयोग के अन्तर्गत प्राप्त राशि में से कम से कम पचास प्रतिशत राशि का उपयोग ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन (Solid Waste Management) पर किया जाना है। मार्गदर्शिका के अनुसार किये जाने वाले कार्यों का विवरण निम्न प्रकार है।

i. कम से कम पचास प्रतिशत राशि Solid Waste Management पर।
ii. पाईप जलापूर्ति व्यवस्था रख– रखाव सहित।
iii. सड़कों में प्रकाश व्यवस्था तथा पेयजल पर उपयोग किये गये बिजली बिल के भुगतान पर।
iv. रैनबसेरा /ओल्ड ऐज होम के निर्माण एवं रख–रखाव पर।

पुनः नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक 3253/27.10.14 के अनुसार प्रकाश व्यवस्था, सोलर लाईट तथा बिजली बिल के भुगतान पर मात्र दस प्रतिशत राशि ही व्यय किया जा सकता है। जबकि नगर परिषद्, सासाराम द्वारा उक्त प्राप्त अनुदानों में से रू० 2,48,88,000/– अर्थात प्राप्त अनुदानों का 51 प्रतिशत का व्यय केवल सोलर लाईटों के अधिष्ठापन पर किया गया था जो कि विभागीय निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन है।

7. बिहार वैट अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किसी भी प्रकार के सामग्री के भुगतान के समय जबतक सम्बंधित आपूर्तिकर्ता Form C-III न प्रस्तुत कर दे, वैट की कटौती कर ही भुगतान किए जाने का प्रावधान है। तथा वैट के रुप में कटौती की गई राशि वाणिज्य कर विभाग में जमा कर दिए जाने का प्रावधान किया गया है। ऐसा नहीं किए जाने पर जिम्मेवार व्यक्तियों से दोगुनी राशि की वसूली का प्रावधान है। संचिका के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि सोलर लाईट हेतु किए गए भुगतान के समय वैट की राशि रू0 1836000 (2189600- 353600) की कटौती नहीं किया गया था।

8. बिहार वित नियमावली के नियम 131(P) के अनुसार संविदा का देय प्रदर्शन सुनिश्चित करने के लिए सफल बोलीकर्ता जिन्हें करार प्रदान किया जाय से Performance Security प्राप्त किया

जाना है। Performance Security सभी सफल बोलीकर्ता से उनके उनके पंजीकरण स्टेटस को ध्यान में रखे बिना प्राप्त की जाएगी। Performance Security 5 से 10 प्रतिशत राशि तक होना चाहिए। Performance Security सभी तरह से क्रेता के हितों को सुरक्षित करने वाला/किसी वाणिज्यिक बैंक से स्वीकार योग्य फार्म में निर्गत एकाउन्ट पेयी डिमांड ड्राफ्ट/फिक्सड डिपोजिट रसीद/बैंक गारंटी हो सकता है।

Performance Security वारंटी दायित्व सहित आपूर्तिकर्ता के सभी करार दयित्वों के पूरा होने की तिथि से साठ दिन बाद की अवधी तक वैध रहनी चाहिए।

Performance Security की प्राप्ती पर सफल बोलीकर्ता को Bid Security वापस कर दी जानी चाहिए।

परंतु नगर परिषद् द्वारा ऐसा नहीं किया गया और पूरा भुगतान अनियमित तरीके से कर दिया गया।

इस प्रकार Performance Security प्राक्कलित राशि का 10 प्रतिशत अर्थात रु0 37,94,400/– (43,79,200– 5,84,800) आपूर्तिकर्ता के विपत्र से कटौती नहीं की गयी।

उक्त आपत्तियों के आलोक में कार्यालय प्रधान द्वारा आपत्तियों का बिन्दुवार जवाब नहीं दिया गया बल्कि कहा गया कि जॉचोंपरांत वांछित जवाब लेखा परीक्षा कार्यालय को उपलब्ध करा दिया जाएगा।

कंडिका 02 7 लीटर पूर्ण ओटोमेटिक 05 अद्द फोगिंग मशीन का क्रय

नगर परिषद, सासाराम द्वारा दिनांक 18.01.2014 को सशक्त स्थायी समिति की आयोजित बैठक में 5 फोगिंग मशीन ओटोमेटिक 7 ली0 का क्रय करने का निर्णय लिया गया। पारित प्रस्ताव में सामग्रियों का क्रय सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार पटना के पत्रांक 862 दिनांक 21.02.2008 के कंडिका 12 के आलोक में करने की स्वीकृति की गयी है। सरकार के पत्रांक 862 दिनंक 21.02.08 के अनुसार किसी भी तरह की मशीनरी निविदा के द्वारा खरीद की जानी है और समयाभाव में ट्रैक्टर एवं अन्य मशीनरी दूसरे नगर निकाय द्वारा की गई खरीद के अधार पर किया जा सकता है।

मे0 सिन्हा इन्ट्रप्राईजेज सिकरिया मोड़, गया के पत्रांक एस.ई/89/13–14 दिनांक 02.02.04 द्वारा नगर परिषद सासाराम को सूचित किया गया कि अन्य नगर निकाय, द्वारा फोगिंग मशीन का कार्यादेश दिया गया था।

कार्यादेश सं0 318 दिनांक 11.02.2014 के द्वारा फोंगिग मशीन आपूर्ति हेतु आदेश जारी किया गया। (विवरण निम्नवत है)

क्रम सं0	सामग्री	मात्रा (अदद)	दर	नगर निकाय का नाम जिसके दर पर लिया गया।
1	7 लीटर पूर्ण ओटोमेटिक फोगिंग मशीन		155000	नगर परिषद बक्सर

भुगतान का विवरण निम्नवत है–

क्रमांक	अभिश्रव सं0/दिनांक	अभिश्रव राशि	प्रतिभुति राशि 10 प्रतिशत की दर से	वैट (5 प्रतिशत)	आई.टी (1.03 प्रतिशत)	कुल राशि
1	24/13–14	775000	77500	38750	7983	650767

लेखा परीक्षा टिप्पणी

1. यु.डी एवं एच.डी के पत्रांक सं0 862 दिनांक 21.02.2008 के अनुसार अनावश्यक देरी से बचने हेतु ट्रैक्टर एवं अन्य मशीनरी का क्रय दूसरे नगर निकाय द्वारा खरीद की दर के अधार पर तब तक खरीद किया जाना था जबतक की अगला क्रय समिति का गठन नहीं हो जाए। वित्त विभाग के संकल्प सं0 8672 दिनांक 11.09.2009 के द्वारा BUDA को नगर निकाय हेतु राज्य क्रय संगठन नामित किया गया था। परन्तु नगर परिषद द्वारा फोगिंग मशीन का क्रय BUDA के द्वारा नहीं किया गया बल्कि दूसरे नगर निकायों के खरीद दर पर किया गया।
2. अगर निविदा के माध्यम से मशीनरी का क्रय किया गया होता तो अधिर प्रतिस्पर्धा होती एव कम दर पर क्रय किया जा सकता था साथ ही साथ आधुनिक मशीन का क्रय किया जा सकता था क्योंकि इसका क्रय दूसरे नगर निकाय से एक वर्ष बाद किया गया है।

   आपत्ति के जवाब में बताया गया कि कार्य की महत्ता देखते हुए एवं समय की कमी के कारण नगर परिषद, बक्सर के दर पर थ्री विहीलर की क्रय की गई थी।

   जवाब मान्य नहीं है क्योंकि विभाग के मार्गदर्शन का पालन नहीं किया गया था।

कंडिका 03 10 अद्द Piaggio Ape Three Wheeler का क्रय

सासाराम नगर परिषद की सशक्त स्थायी समिति का वैठक दिनांक 26.07.2012 एव क्रय समिति की बैठक दिनांक 26.07.2012 के द्वारा 10 पियाजु एप हाईडोर्लिक ट्रिपर का क्रय का निर्णय लिया गया। पारित प्रस्ताव में सामग्रियों का क्रय सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार पटना के पत्रांक 862 दिनांक 21.02.2008 के कंडिका 12 के आलोक में करने की स्वीकृति की गयी है। सरकार के पत्रांक 862 दिनंक 21.02.08 के अनुसार किसी भी तरह की मशीनरी निविदा के द्वारा खरीद की जानी है और समयाभाव में ट्रैक्टर एवं अन्य मशीनरी दूसरे नगर निकाय द्वारा खरीद की गई दर के आधार पर किया जा सकता है।

मे0 गया हार्डवेयर मार्ट स्टेशन रोड गया द्वारा पत्रांक सं0 2259/न0पं0 सासाराम दिनांक 18.12.2012 द्वारा नगर परिषद सासाराम को सूचित किया गया कि अन्य नगर निकाय, द्वारा उपर्युकत वर्णित सामग्री का कियादेश दिया गया था। (विवरणी निम्नवत है)

क्रमांक	सामग्री का नाम	मात्रा	दर प्रति सामग्री	नगर निकाय का नाम जिसके दर पर लिया गया।
1	पियाजु एप कारगों थ्री विल्लर	10	265500	शेखपुरा, जहानाबाद एवं बोधगया

भुगतान का विवरण निम्नवत है–

क्रमांक	अभिश्रव सं0/दिनांक	अभिश्रव राशि	प्रतिभुति राशि 10 प्रतिशत की दर से	वैट (13.5 प्रतिशत)	आई.टी (2.06 प्रतिशत)	कुल राशि
1	24/10.12.2014	2655000	0	315790	46780	2292430

लेखा परीक्षा टिप्पणी

1. यु.डी एवं एच.डी के पत्रांक सं0 862 दिनांक 21.02.2008 के अनुसार अनावश्यक देरी से बचने हेतु ट्रैक्टर एवं अन्य मशीनरी का कय दूसरे नगर निकाय द्वारा खरीद की दर के अधार पर तबतक खरीद किया जाना था जबतक की अगला कय समिति का गठन नहीं हो जाए। वित्त विभाग के संकल्प सं0 862 दिनांक 11.09.2009 के द्वारा BUDA को नगर निकाय हेतु राज्य कय सगठन नामित किया गया था। परन्तु नगर परिषद द्वारा पियाजु एप कारगों थ्री विल्लर हाईड्रोलिक ट्रिपर का कय BUDA के द्वारा नहीं किया गया बल्कि दूसरे नगर निकायों के खरीद दर पर किया गया।
2. प्रतिभूति राशि 10 प्रतिशत की कटौती आपूर्तिकर्ता से नहीं किया गया है।

   आपत्ति के जवाब में बताया गया कि कार्य की महत्ता को देखते हुए एवं समय की कमी के कारण नगर परिषद, शेखपूरा की दर पर कय किया गया है।

   जवाब मान्य नहीं है क्योंकि विभाग के मार्गदर्शन का पालन नहीं किया गया था।

–हस्ता0–
(राजनन्दन कुमार)
व0ले0प0अ0
–अनुमोदित–
उप महालेखाकार (सा0प्र0–I/स्था0नि0)च